पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 15.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0, धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट के पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे थे। जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपीलांट के हक में नामान्तकरण संख्या 1944 दिनांक 06.03.2017 को अमल किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 19 को बिना सुन बिना सुनवायी का आवसर दिये न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश अवैधानिक बिना किसी क्षेत्राधिकार के मनमर्जी से पारित कर दिया गया है जो की अवैधानिक, कोर्ट मेन्यूअल, सी0पी0सी0 एवं अन्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहीत सिद्धान्तों के विपरित होने से प्रार्थी के हित प्रभावित होते है इसलिये प्रार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी प्रकरण में अन्तर्निहित अराजीयात के अभिलिखित काबिजकाश्त खातेदार कृषक है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी जो की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है की भूमि पर स्थगन दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए प्रार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी प्रकरण में अन्तर्निहित आराजीयात के अभिलिखित काबिजकाश्त खातेदार कृषक है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है की भूमि पर स्थगन दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए प्रार्थी को अपील प्रस्तुती की इजाजत दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण में अन्तर्निहित आराजीयात के अभिलिखित काबिजकाश्त खातेदार कृषक है। इसलिये स्थगन की तीनों घटक इन्ही के पक्ष में सुसाबित है एवं विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि रिकॉर्डेड खातेदार एवं सहखातेदार का स्थगन से पाबंद नहीं किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखी कर उक्त स्थगन आदेश पारित किया है जो स्पष्टतः गैरकानूनी होने से स्पष्टतः क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है जिसे चुनौती देने हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधान कतई आडे नही आते है। इसलिए मियाद बिन्दु को गौण किया जाकर प्रकरण को मेरिट पर सुना जाना आवश्यक है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2016 को होने के पश्चात दिनांक 06.02.2017 को राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया । हाल ही अपीलांट के द्वारा केसीसी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पटवार हल्का से दिनांक 20.10.2023 को सम्पर्क करने पर उक्त इकतरफा स्थगन की जानकारी प्रामि बार हुई। जिस पर दिनांक 26.10.2023 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थीया को सहमति के द्वारा स्थगन हटाने एवं आपसी समझाईश से प्रकरण का निस्तारण करने एवं सुलटारा करने का आश्वासन देने से विश्वास में रहे दिनांक 02.01.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आपसी समझाईश से स्थगन हटाने से इंकार करने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत है। चुंकि यह आदेश अवैधानिक एवं क्षैत्राधिकार विहीन आदेश है जो स्पष्टतः प्रभावशुन्य होने से इस प्रश्नगत अपील के माध्यम से मियाद बिन्दु को गौण कर समय कण्डाने किया जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2016 आर0बी0जे0 769, 1999 आर0बी0जे0 185 एवं अन्य न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार जहां पर आलोच्य आदेश विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है वहा पर ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए मियाद अधिनियम के प्रावधान कतई आडे नहीं आते है। इसलिए उपरोक्त विधिक स्थिति की परिपेक्ष में मियाद के बिन्दु को गौण किया जाकर प्रकरण को मेरिट पर सुना जाना न्यायोचित है। प्रश्नगत प्ररकण एक अपील है जिसका निस्तारण तकनीकी बिन्दु को नजरअंदाज कर गुणावगुण पर किया जाना ही न्याय संगत है। इसलिए देरी जैसे तकनीकी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हेतु प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। हस्तगत अपील को प्रस्तुत करने में कोई सद्भाविक देरी है तो उस बाबत उदार रूख अपनाते हुए देरी को क्षमा कर प्रश्नगत अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार कर इसे गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश न्यायहित में प्रदर्श फरमाये।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट के पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे थे। जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपीलांट के हक में नामान्तकरण संख्या 1944 दिनांक 06.03.2017 को अमल किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 19 को बिना सुन बिना सुनवायी का आवसर दिये न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश अवैधानिक बिना किसी क्षेत्राधिकार के मनमर्जी से पारित कर दिया गया है जो की अवैधानिक, कोर्ट मेन्यूअल, सी0पी0सी0 एवं अन्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहीत सिद्वान्तों के विपरित पातिर किया गया है। जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट प्रकरण में अन्तर्निहित आराजीयात के अभिलिखित काबिजकाश्त खातेदार कृषक है। इसलिए स्थगन की तीनो घटक इन्ही के पक्ष में सुसाबित है एवं विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को स्थगन से पाबंद नही किया जा सकता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध बिना किसी आधार के, बिना सुनवायी का मौका दिये बिना आदेशिका में दिनांक 10.06.2016 की तारीख नियत किये मनमर्जी से दिनांक 10.06.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के प्रकरण में रिकार्डेड खातेदारान अपीलांट को स्थगन से पाबंद कर गंभीर तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है इसलिए अपीलाधीन आदेश प्रश्नगत अपील के माध्यम से इसी विधिक आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 297/2013 बउनवानी विमला बनाम लाली वगै0 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 का प्रभाव एवं प्रचलन एवं क्रियान्विति ख0न0 1009, 1027 व 75 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2890 है0 भूमि वाके ग्राम पालूकलां तह0 मौजमाबाद की हद तक स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदत्त फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार उसके पिता कल्याण विवादित भूमियों में खातेदार काश्तकार थे जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात। अपीलांट के हित में नामांतरकरण संख्या 1944 दिनांक 6.3.2017 को अमल किया जा चुका है। अपीलाधीन प्रकरण में उसके पिता प्रतिवादी संख्या 19 कल्याण को बिना सुने न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश जारी किया गया था। वह विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार होने से स्थगन की वजह से प्रार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है इसलिए प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 211/206 अंतर्गत 212 आरटी एक्त व 151 सीपीसी विमला देवी बनाम लाली व अन्य का अवलोकन किया गया कल्याण पुत्र बलिया 19 नम्बर पर प्रतिवादी की हैसियत से दर्ज है। उक्त प्रार्थना पत्र को पुनः 297 नम्बर पर दिनांक 9.10.2013 को दर्ज किया गया अंकित है। दिनांक 10.6.2016 को सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू द्वारा खसरा नम्बर 56,220,75,487,488,490,1009,1027,54,1036 वाके ग्राम पालुकला तहसील मौजमाबाद हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत आदेश जारी किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 9.11.2016 रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत गिढाणी पंचायत समिति दूदू के अनुसार कल्याणमल पुत्र बालू की मृत्यु दिनांक 1.11.2016 को होना अंकित है। जमाबंदी ग्राम पालुकला तहसील मौजमाबाद जमाबंदी 2075-2078 खाता संख्या 434 के अनुसार राजेन्द्र पुत्र कल्याण का हिस्सा खसरा नम्बर 1009,1027,75 में कुल खसरा नम्बर तीन रकबा 2.2890 है0 भूमि में अपीलांट राजेन्द्र प्रसाद का हिस्सा 1/36 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1009,1027,75 हेतु अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाएगा उसे अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति दी जाती है।

राजस्व अपील प्राधि॰ .

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2023 को सम्पर्क करने पर एकपक्षीय स्थगन बाबत उसे प्रथम बार जानकरी हुई दिनांक 26.10.2023 को प्रार्थीया रेस्पोडेंट संख्या 1 से सम्पर्क कर स्थगन आदेश हटाने एवं आपसी समझाईश से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आश्वासन दिया गया। मगर दिनांक 2.1.2024 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मना करने पर तुरंत अपील प्रस्तुत की है अपील को अंदर मियाद माना जाए क्यों कि सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध है और ऐसे विधि विरूद्ध आदेश के मामले में मियाद अवधि को शिथिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 10.6.2016 को प्रदत्त किया था जिसमें अपीलांट द्वारा बताए गए खसरा नम्बरों के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर अंकित है। अनेकानेक मामलों में यह न्यायिक दृष्टांत दिया गया है कि सहखातेदार के विरूद्ध टीआई जारी नहीं की जा सकती मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, ऐसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 विमला देवी के द्वारा धारा 88, 188, आरटी ए के अंतर्गत एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मय एक प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.6.2016 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विमला ने अपने आप को किशना की पुत्री बताया था जबकि वह गेलड है किशना व बाला दो भाई थे बाला का पुत्र कल्याण हुआ और कल्याण का अपीलांट पुत्र है। राजस्व केम्प में टीआई दी गई थी हम सभी सहखातेदार हैं। किशना की भूमि से हमें कोई लेनदेन नहीं है। मृतकों के विरूद्ध भी आदेश जारी हो गया है। श्रवण पुत्र बालिया 2007 में फौत हो चुका है उसे एलआर द्वारा रिकार्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेंडिग है। बिरदा पुत्र बालिया भी फौत हो चुका है उसके विधिक वारिसान को पत्रावली पर लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेंडिग है। टीआई में कुल 10 खसरा नम्बर थे जबकि विमला देवी द्वारा तीन खसरा नम्बर बाबत अपना अनुतोष वापस ले लिया गया था। इन तीन खसरा नम्बरों को भी टीआई में शामिल कर लिया गया। हमारे खसरा नम्बर 1009,1027,75 है। 2017 में मेरा नामांतरण खुल चुका है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित तीन खसरा नम्बर (1009,1027,75) हेतु अपास्त करने का निवेदन किया गया जबकि अपीलाधीन आदेश में इनके अलावा खसरा नम्बर 56,220,487,488,490,54,1036 भी शामिल है। विवादित खाता संख्या 434 नया में अपीलांट राजेन्द्र प्रसाद का हिस्सा मात्र 1/36 है उसके अलावा इसमें 13 अन्य सहखातेदार और भी हैं। भूमि अविभाजित है एवं प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। अतः बिना बंटवारे के अपीलांट का कौनसा हिस्सा बनता है यह तय नहीं किया जा सकता। अंतरिम स्थगन आदेश के प्रकरणों में राजस्व मण्डल द्वारा व्यवस्था दी गई है। जिसके तहत एक माह में संबंधित पक्षकारों की तामिल करवाई जाकर जवाब लिया जाकर बहस सुनकर निर्णय करना होता है। न्यायालय हाजा का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा गया अतः प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी चार सप्ताह में संबंधित पक्षकारों की तलबी पूरी कर एलआर को रिकार्ड पर लेकर जवाब लेकर बहस सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

२३.१.२०२४

राजस्व अपील प्राधि...
अजमेर